न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2020 / 00081 / 225

1. श्रीमती सुरज्ञान पुत्री रामगोपालगिरी पत्नी राजेन्द्र, जाति गोंसाई, निवासी ग्राम दोथली, तहसील अरांई, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम ईटाखोई, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामगोपालगिरी पुत्र मोहनगिरी, जाति गोंसाई, निवासी दोथली, तह0अरांई, जिला अजमेर ।
2. नाथुगिरी पुत्र रामगोपालगिरी, जाति गोसाई, निवासी दोथली, तह0 अरांई, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अरांई, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, अरांई, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 3.3.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 41 / 2020.

उपस्थितः—

1. श्री गौतम चन्द टांक, वकील अपीलांट ।
2. श्री मौहम्मद इरफान, वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः— 13.1.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 3.3.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण / रेस्पो0 के पेश किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट की पुश्तैनी आराजी ग्राम दोथली, तहसील अंराई, जिला अजमेर में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 45 के खसरा नंबर 194 रकबा 7..2325 है0, खसरा नंबर 225 रकबा 0.0243 है0, खसरा नंबर 226 रकबा 1.5937 है0, खसरा नंबर 227 रकबा 0.4611 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 9.3116 है0 भूमि में रेस्पो0 का 1 / 3 हिस्सा अधिकार सहखातेदारी में राजस्व रिकार्ड

जमाबंदी में दर्ज है । अपीलांट के पिता रेस्पो0 संख्या 1 रामगोपालगिरी को उपरोक्त हिस्सा कृषि भूमियां अपीलांट के दादा मोहनगिरी से विरासत में प्राप्त हुई है । इस प्रकार विवादित आराजियात अपीलांट की उसके पिता की पुश्तैनी पैतृक सम्पति कृषि भूमियां है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुश्तैनी पैतृक आराजियात में अपीलांट का जन्म से हक व अधिकार है तथा अपीलांट के जीवन–यापन का एकमात्र साधन उक्त कृषि भूमियां ही है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 डोडा, शराब का नशा करते है इस कारण अन्य लोगों व रेस्पो0 संख्या 2 के बहकावे में आकर रेस्पो0 संख्या 1 के नाम की पुश्तैनी आराजियात को बेचान करने व बेदखल करने की धमकियां देते है । अतः रेस्पो0 संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उपरोक्त आराजी का बेचान, हस्तातंरण नहीं करे, प्रार्थिया के कृषि काय में बाधा व्यवधान नहीं करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 3.3.2020 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि खाता संख्या 45 के खसरा नंबर 194 रकबा 7..2325 है0, खसरा नंबर 225 रकबा 0.0243 है0, खसरा नंबर 226 रकबा 1.5937 है0, खसरा नंबर 227 रकबा 0.4611 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 9.3116 है0 में रेस्पे0 का 1/3 हिस्सा अधिकार खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । अपीलांट के पिता रेस्पो0 संख्या 1 रामगोपालगिरी को उपरोक्त कृषि भूमियां अपीलांट के दादा मोहनगिरी से विरासत में प्राप्त हुई है जा कि अपीलांट की व उसके पिता की पुश्तैनी पैतृक सम्पति कृषि भूमिया है । विवादित आराजियात पुश्तैनी पैतृक सम्पति होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलांट का विवादित आराजियात में जन्म से हक व अधिकार है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 डोडा, शराब का नशा करते है इस कारण अन्य लोगों व रेस्पो0 संख्या 2 के बहकावे में आकर रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज पुश्तैनी पैतृक आरायिजात को बेचान करने एवं अपीलांट को बेदखल करने की धमकियां देते है । इस कारण रेस्पो0 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने मे त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 संख्या 2 अपीलांट का भाई व रेस्पो0 संख्या 1 का पुत्र है वह अपने पिता के बहकावे में आकर अकेला अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने पिता के हिस्से की आराजी को बेचान रेस्पो0 संख्या 1 से करवाने में उसका सहयोग कर रहा है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुश्तैनी आराजियात में अपीलांट के खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है इस कारण से विधिक तौर से अपीलांट अपने 1/9 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर रेस्पो0 को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यू0एल0सी 2018 (1)(सुप्रीमकोर्ट) पेज 485, डब्ल्यू0एल0सी0 2012 (1) सुप्रीम कोर्ट पेज 118, ए0आई0आर0 2012 कर्नाटका पेज 32,

आर0आर0डी0 1993 पेज 206, आर0बी0जे0 2000 (7) पेज 53, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 406 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 6 की प्रति पेश की ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर खातेदार काश्तकार है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अपीलांट को विवादित आराजियात में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इन सबका निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसी कारण अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलाधीन भूमियां जो ग्राम दोथली, तहसील अरांई जिला अजमेर स्थित है के संबंध में घोषणात्मक वाद के साथ धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन भूमियां प्रार्थिया/अपीलांट के दादा मोहनगिरी की थी तथा मोहनगिरी के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थिया/अपीलांट के पिता अप्रार्थी रेस्पो0 संख्या 1 रामगोपालगिरी को प्राप्त हुई है । अपीलाधीन भूमियां पैतृक आराजियात है जिसमें अपीलार्थिया एवं रेस्पो0 संख्या 2 नाथूगिरी का जन्म से अधिकार होकर सहिस्सेदार है परन्तु राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 ने अकेले ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 अपीलाधीन भूमियों को खुर्द–बुद एवं बेचान करने पर आमादा है । इस कारण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रेस्पो0 संख्या 1 को पाबंद किया जावे किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 पर दिनांक 24.2.2020 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की बहस सुनी गई एवं दिनांक 3.3.2020 को यह अंकित करते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 212 खारिज किया कि '' अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है ।'' विद्वान वकील अपीलांटस ने दौराने बहस जमाबंदी संवत् 2041 की फोटो प्रति की और ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया विवादित आराजियात प्रार्थिया/अपीलांट के पिता रामगोपाल गिरी को विरासत से प्राप्त होने का अंकन हो रखा है । जमाबंदी संवत् 2041 में विरासत के इस अंकन से स्पष्ट है कि विवादित आरायिजात रेस्पो0 संख्या 1 की स्वअर्जित न होकर पुश्तैनी आराजियात है । पुश्तैनी आराजियात में प्रार्थीया/अपीलांट क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किये जावेगा किन्तु वर्तमान में विवादित आराजियात प्रथम दृष्टया पैतृक सम्पति होने से पैतृक सम्पति में अपीलांट के हक हिस्से तक की आराजियात का यदि वाद के विचाराधीन रहते बेचान, हस्तातंरण, विक्रय इत्यादि हो जाता है तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी तथा ओर अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ने की संभावना रहेगी । विवादित आराजियात प्रथम दृष्टया पैतृक होने से अपीलांट के हिस्से की आराजियात बाबत् रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित समझते है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.3.2020 निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.3.2020 निरस्त किया जाता है तथा रेस्पो0 2 व 3 को ताफैसला मूल वाद इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजियात में अपीलांट के हक, हिस्से की आराजियात के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा विवादित आराजियात का किसी अन्य को बेचान, हस्तातंरण नहीं करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर